


कार्यालय आदेश संख्या 21/18

महाप्रबन्धक (का0) गोरखपुर के पत्र सं0 का/283/12/पार.स्था./अं.म./ओमप्रकाश-संतोषाX/लूज दि0 03.05.17 द्वारा श्री धनन्जय कुमार पुत्र श्री देवनारायण ,खलासी (5200-20200+1800 ग्रेड पे ,लेबल-1अधीन उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो/गोरखपुर , पूर्वोत्तर रेलवे का उनके स्वयं के अनुरोध पर श्री श्रीराम चौधरी पुत्र रामधन चौधरी खलासी हैल्पर /विधुत(5200-20200+1800 ग्रेड पे ,लेबल-1) अधीन सीसेई विधुत/छपरा,वाराणसी मण्डल पूर्वोत्तर रेलवे के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर सक्षम अधिकारी ने अनुमोदन प्रदान किया है,जिसके आलोक में सीसेई/विधुत/गाडी प्रकाश /छपरा ने पत्र सं0 वि/283/गा.प्र./छपरा दि015.02.18 द्वारा श्री श्रीराम चौधरी को विरमित कर इस कार्यालय को भेजा गया है।अतः श्री श्रीराम चौधरी गा.प्र.हेल्पर ,वाराणसी मण्डल को उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो /गोरखपुर,पूर्वोत्तर रेलवे हेतु विरमित किया जाता है।वर्तमान में कर्मचारी के विरूद्ध एसपीई/विज/डीएआर से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित नहीं है।

कर्मचारी के पक्ष में निम्न अवकाश एवं सुविधा देय है:-

अर्जित अवकाश	106 दिन
अर्धवैतनिक अवकाश	92 दिन
आकस्मिक अवकाश	08 दिन
सुविधा पास	01 सेट
सुविधा टिकट	04 सेट

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी वमविई/सामान्य वाराणसी का आदेश प्राप्त है।कर्मचारी का फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाता है।



श्रीराम चौधरी



सहायक  
एन

सं0 ई/एल/283/अरे.अम./स्था./16(लूज)

सकाधि।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का0)  
वाराणसी

दिनांक 16.02.18

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वमविप्र,वमविई/सा./वाराणसी
2. उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो/गोरखपुर
3. मुकार्याधी/विविध बिल
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका
5. सम्बन्धित कर्मचारी
6. मण्डल मन्त्री/नरमू,अजा अजजा एसो./वाराणसी

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का0)  
वाराणसी